महत्वपूर्ण

संख्या– 304/68–5–2020

प्रेषक

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–5

लखनऊः दिनांकः 01 मई 2020

विषय–कोरोना वायरस (कोविड–19) के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के दृष्टिगत शैक्षणिक सत्र 2020–21 में विद्यालयों द्वारा शुल्क वृद्धि न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में शासकीय एवं शासन द्वारा अनुदानित विद्यालयो के अतिरिक्त निजी प्रबन्ध तन्त्र द्वारा भी विद्यालय संचालित हैं, जो कि उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद, सी0बी0एस0सी0, आई0सी0एस0सी0 बोर्ड आदि से मान्यता प्राप्त हैं। निजी प्रबन्ध तन्त्र द्वारा संचालित इन गैर अनुदानित मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा छात्रों से शुल्क लिया जाता है, जिसका नियमन उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतन्त्र (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2018 के अधीन जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित जिला शुल्क नियामक समिति द्वारा किया जाता है। यह समिति मुख्यतः स्ववित्त पोषित विद्यालयों के प्रबन्धतन्त्र द्वारा प्रस्तावित शुल्क वृद्धि एवं विभिन्न स्तर से प्राप्त शिकायतो का निराकरण करती है।

2. यह भी अवगत कराना है कि राजस्व विभाग के **शासनादेश संख्या–195/एक–11–2020, द्वारा दिनांक 24–03–2020** द्वारा भारत सरकार के **आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 सपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराओं** के अन्तर्गत कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है। वर्तमान में कोविड–19 विश्वव्यापी महामारी के दृष्टिगत दिनांक 24 मार्च 2020 से प्रदेश में सम्पूर्ण **लॉकडाउन** है तथा प्रदेश के समस्त शैक्षणिक संस्थानों को दिनांक 03 मई 2020 तक बन्द कर दिया गया है। वस्तुतः अब विद्यालय ग्रीष्मकालीन अवकाश के पश्चात् ही खुलने की स्थिति में आयेंगे और तब तक वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020–21 के तीन माह कालातीत हो चुके होगें। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान सत्र में विद्यालयों में शिक्षण–कार्य मात्र 09 महीने ही चल पायेगा। पूर्व के अनुभवों से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निजी विद्यालय प्रतिवर्ष शुल्क में वृद्धि करते हैं। यहॉ पर यह भी विचारणीय है कि लम्बे लॉकडाउन के कारण अभिभावको की

आर्थिक क्षमता में क्षरण हो रहा है। अतः अभिभावक शुल्क वृद्धि का भार वहन करने में काफी कठिनाई का सामना करेंगें, जो कि उचित नहीं है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र में आरम्भ के तीन माह में अध्यापन कार्य न हो सकने के कारण निजी विद्यालयों द्वारा इस वित्तीय वर्ष में फीस वृद्धि का कोई औचित्य नहीं है।

3. अतएव उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में **Indian Disaster Management Act 2005** एवं सपठित **उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005** में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत् लॉकडाउन के फलस्वरूप उत्पन्न आपात परिस्थितियों के कारण व्यापक जनहित एवं छात्रहित में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ***उत्तर प्रदेश में संचालित कक्षा 01 से 08 तक के समस्त बोर्डो के समस्त विद्यालयों के प्रबन्धतंत्रों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिये शुल्क वृद्धि न की जायेगी तथा शैक्षणिक सत्र 2019–20 में नये प्रवेश तथा प्रत्येक कक्षा हेतु लागू की गयी शुल्क–संरचना के अनुसार ही शैक्षणिक सत्र 2020–21 में छात्र/छात्राओं से शुल्क लिया जायेगा।*** यदि किसी विद्याालय द्वारा पूर्व में ही शैक्षणिक सत्र 2020–21 में शुल्क वृद्धि करते हुये बढ़ी हुयी दरों से शुल्क छात्रों से लिया जा चुका है तो बढ़ी हुई अतिरिक्त शुल्क को आगामी महीनों के शुल्क में समायोजित किया जाये।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0।
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0।
4. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज।
5. निदेशक बेसिक शिक्षा/एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।